संख्याः शिक्षा–एसई(10)ए(1)पी.एस.–37/2025–सामान्य निर्देश
स्कूल शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

दिनांक शिमला फरवरी, 2026

Directorate of School Education
24 FEB 2026
Himachal Pradesh, Shimla-171001

सेवा में

समस्त उपनिदेशक
स्कूल शिक्षा सकैण्डरी/प्रारम्भिक,
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबें–कापियों तथा स्कूल वर्दी बारे मनमानी रोकने बारे आग्रह।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में इस निदेशालय के पत्र संख्या शिक्षा–एसई(10)ए(1)पी.एस.–37/2025–सामान्य निर्देश दिनांक 27.01.2026 की निरन्तरता में सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला से प्राप्त पत्र कमांकः हि0शि0बो0संबद्धता(38)/2026–4369 दिनांक10.02.2026 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि बोर्ड द्वारा सम्बद्धता रेगुलेशन में निर्धारित नियम 16.0.12 (a) में प्रावधान अनुसार स्कूल परिसर में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों/प्रायोगिक पुस्तकाओं की बिकी को व्यावसायिक गतिविधि नही माना जाता है, इस नियम का प्रावधान निम्नानुसार हैः–

16.3.12(a) **The privately managed Institutions shall not carry out any commercial activities in the Institution e.g. sale of uniforms, ties, belts, badges, shoes etc. The affiliation of the school indulging in such activities shall be cancelled. However sale of Board Prescribed Textbooks/Practical Notebooks in the schools campus are not treated as commercial activities.**

अतः इस सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते है कि आप समस्त निजी स्कूल प्रमुखों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के संबन्द्वता नियम 16.3.12(a) में जारी निर्देशो की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी करे। उपरौक्त निर्देशो का पालन न करने के सन्दर्भ में भविष्य में जिन स्कूलों के विरूद्व कोई शिकायत प्राप्त होगी उन स्कूलों के विरूद्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान (विनियमन) अधिनियम 1997 व नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा जारी किये गये अनुमति प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होगा।

निदेशक स्कूल शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः सम् दिनांकः शिमला– 171001, फरवरी, 2026
प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित हैः

1. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को उनके कार्यालय पत्र कमांकः हि0शि0बो0संबद्धता(38)/2026–4369 दिनांक10.02.2026 के सन्दर्भ सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. नोडल अधिकारी, (आई टी सेल) स्कूल शिक्षा निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये जाते है।
3. रक्षक नस्ति।

निदेशक स्कूल शिक्षा
हिमाचल प्रदेश।

S 482
17-2-26

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176215
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176215

क्रमांकः हि०शि०बो०संबद्धता(38)/2026- 4369 दिनांकः 10-02-2026

प्रेषकः

सचिव,
हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला-176215

प्रेषितः

निदेशक स्कूल शिक्षा,
स्कूल शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.

विषयः प्राईवेट स्कूलों द्वारा किताबें-कापियों तथा स्कूल वर्दी बारे मानमानी रोकने बारे आग्रह।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र सख्याः शिक्षा-एसई(10)ए(1)पी.एस-37/2025-सामान्य निर्देश, दिनांक 27-01-2026 के अन्तर्गत निजी स्कूलों को जारी किये गए निर्देशों के बारे में अवगत करवाया जाता है कि आपके पत्र में निजी स्कूल प्रबन्धकों को स्कूलों में किताबें, कापियां, वर्दी व जूते आदि न बेचने तथा किसी भी चिन्हित दुकान से अभिभावकों को किताबें, कापियाँ, वर्दी व जूते आदि खरीदने पर बाध्य न करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन बोर्ड द्वारा संबद्धता रेगुलेशन में निर्धारित नियम 16.3.12 (a) में प्रावधान अनुसार स्कूल परिसर में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों/प्रायोगिक पुस्तिकाओं की बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाता है, नियम इस प्रकार से हैः

16.3.12(a) The privately managed Institutions shall not carry out any commercial activities in the Institution e.g. sale of uniforms, ties, belts, badges, shoes etc. The affiliation of the schools indulging in such activities shall be cancelled. However sale of Board Prescribed Textbooks/Practical Notebooks in the schools campus are not treated as commercial activities.

अतः यह पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि आप उपरोक्त के सन्दर्भ में समस्त उप शिक्षा निदेशकों को बोर्ड के संबद्धता रेगुलेशन में निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निदेशित करें।

भवदीय,

Signed by
Vishal Sharma
Date: 10-02-2026 11:59:59

(हि.प्र.से.)
सचिव

Sh. JC
17.2.26